**न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सुपौल।**

जिला–सुपौल (बिहार)

**जमानत आवेदन संख्या–173 / 2026**

**प्रतापगंज थाना कांड संख्या–70 / 2025, जिला–सुपौल।**

---

1. मो0 नजीर अंसारी उर्फ नजीर अंसारी, पिता–स्वर्गीय मो0 रज्जाक उर्फ रज्जाक अंसारी उम्र–60 वर्ष, साकिन–भवानीपुर उत्तर, वार्ड नं0–4 (महुआ टोला) थाना–प्रतापगंज, जिला–सुपौल।

.....**याचिकाकर्त्ता**

**बनाम्**

**बिहार राज्य।**

---

उपस्थितः
याचिकाकर्त्ता की ओर से– श्री राजकुमार सिंह (विद्वान अधिवक्ता)
विपक्षी की ओर से– श्री राजेश कुमार सिंह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

---

10.04.2026

काराधीन आवेदक अभियुक्त **मो0 नजीर अंसारी उर्फ नजीर अंसारी** की तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक अभियुक्त प्रतापगंज थाना कांड संख्या–70 / 2025 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109, 117(2), 303(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता में दिनांक 25.02.2026 से काराधीन हैं। आवेदन की एक प्रति विद्वान लोक अभियोजक द्वारा पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियोजन वाद संक्षिप्त में यह है कि सूचक जुबेर अंसारी से सहअभियुक्त मो0 बसीर का विगत 6 माह से बसोबास के जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विगत दो माह पहले बसोबास के जमीन को लेकर सहअभियुक्त बसीर अंसारी से मारपीट तथा विवाद हुई थी जिसका काण्ड संख्या–24 / 2025 है। पूर्व के जमीनी विवाद एवं काण्ड दर्ज होने की रंजिश को लेकर सहअभियुक्त मो0 बसीर अंसारी धमकी दिया करता था कि तुमको देख लेंगे। दिनांक 13.04.2025 रोज गुरूवार दिन के करीब 4 बजे वह अपने भाई मो0 जहांगीर अंसारी के साथ प्रतापगंज बाजार घरेलू सामान खरीदने के लिये निकले थे तथा घरेलू सामन खरीदकर शाम के करीब 6 बजे घर के लिए चले थे, ज्योंहि सहअभियुक्त मो0 बसीर अंसारी के घर के सामने शाम के करीब 6:30 बजे पहुचे, वैसे ही उपरोक्त नामित अभियुक्त लाठी, लोहे के रॉड लेकर सड़क पर आ गये और उनलोगों को पूर्व की रंजिश को

10.4.26

10.04.2026
लगातार

लेकर घेरकर लाठी, डंडा से मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में आवेदक अभियुक्त मो0 नजीर अपने हाथ में लिये फरसा से जान मारने के नीयत से उनके भाई जहांगीर के सिर पर चला दिया, जिसके लगते ही उनका भाई जहांगीर का सिर फट गया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, उसी क्रम में सह अभियुक्त मो0 नसीर, जहांगीर के उपर लाठी चलाया जो उसके दाहिने हाथ में लगा और दाहिना हाथ टूट गया तथा सह अभियुक्त बसीर अंसारी सूचक के सर पर लाठी चलाया जिससे उनका सर फट गया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, मारपीट के क्रम में उनके भाई जहांगीर के पॉकेट से 52,000/–रुपये सहअभियुक्ता तब्बसुम खातुन एवं रूबेदा खातुन मिलकर छीन ली। घटना के बाद वह अपने भाई का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगंज कराये तथा ईलाज के बाद वह थाना पर आकर आवेदन दिये।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा वर्तमान नियमित जमानत आवेदन से पूर्व श्रीमान् के न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–613/2025 दाखिल किया गया था, जिसे सुनवाई के उपरांत अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात् आवेदक अभियुक्त के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे कि0मिस0 संख्या–58345/2025 दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई पश्चात् अस्वीकृत होने के बाद श्रीमान् या अन्य किसी वरीय न्यायालय में अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। प्राथमिकी एवं काण्ड दैनिकी में आरोपित साक्ष्य के मुताबिक धारा–109, 303(2) भारतीय न्याय संहिता आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लागू नहीं होता है। सूचक एवं आवेदक अभियुक्त आपस में दियाद है, जिनके बीच पूर्व से जमीन का विवाद चला आ रहा है। वर्तमान वाद में जख्मीयों के जख्म प्रतिवेदन के अनुसार धारा–109 भारतीय न्याय संहिता आवेदक अभियुक्त के खिलाफ लागू नहीं होता है। वर्तमान वाद के अन्य सह अभियुक्तों को श्रीमान् के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–613/2025 के द्वारा अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से काराधीन है तथा वे न्यायालय द्वारा संतुष्टिपरक बंध–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतः उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का घोर विरोध किये तथा निवेदित किये हैं कि इनके उपर फरसा से सर पर मारने का आरोप है। अतः जमानत आवेदन खारिज होने योग्य है।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं प्राथमिकी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक अभियुक्त नामजद अभियुक्त हैं तथा इनके उपर सूचक के भाई जहांगीर के सिर पर फरसा चलाकर जख्मी करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की

10.04.2026

लगातार

कंडिका–2 में वादी मो0 जुबेर असांरी का पुनःबयान दर्ज है, इन्होंने अपने बयान में प्राथमिकी घटना का समर्थन किये हैं। कंडिका–6, 7 एवं 8 में क्रमशः साक्षीगण मो0 शकूर अंसारी, विजय मंडल एवं मो0 रहीम अंसारी का बयान है, इन्होंने अपने–अपने बयान में प्राथमिकी घटना का समर्थन किये हैं। कंडिका–24 में स्वतंत्र साक्षी विद्यानन्द भिंडवार का बयान दर्ज किया गया है, इन्होंने अपने बयान में प्राथमिकी घटना का समर्थन किये हैं। कंडिका–25 में साक्षी मो0 वसीर एवं कंडिका–26 में जख्मी साक्षी मो0 जहांगीर का बयान दर्ज है, इन्होंने अपने–अपने बयान में प्राथमिकी घटना का समर्थन किये हैं। कंडिका–38 में जख्मी मो0 जहांगीर अंसारी का जख्म प्रतिवेदन का ब्यौरा है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा जख्म कठोर एवं कुंद पदार्थ से कारित होना बताया गया है तथा जख्म सिर पर पाया गया है, जो महत्वूपर्ण भाग पर है तथा जख्म की प्रकृति गंभीर किस्म की पायी गई है। कंडिका–40 में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से आपराधिक इतिहास प्रतापगंज थाना काण्ड संख्या–24/2025 अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 110, 75, 352, 351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज है। आवेदक अभियुक्त का कि0मिस0 संख्या–56395/2025 में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज किया गया है तथा पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–613/2025 खारिज है। आवेदक अभियुक्त का वाद अनुसंधानन्तर्गत है। चूँकि आवेदक अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित नहीं समझती है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

10.4.26

अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
सुपौल।